भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 239

उत्तर देने की तारीखः 22.07.2025

झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

239. श्री राजा राम सिंहः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 2 जुलाई, 2025 को रांची में एक जन-सुनवाई का आयोजन किया है, जिसमें ऐसे 36 जाति-समूहों को केंद्रीय पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने की जांच की जाएगी, जो अत्यधिक हाशिए पर हैं और इस सूची से लंबे समय से बाहर हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) झारखंड जैसे राज्यों द्वारा अनुशंसित ऐसे जाति-समूहों, जो प्रणालीगत भेदभाव और आर्थिक हाशिए पर रहने जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, का समयबद्ध और न्यायसंगत समावेश सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) विभिन्न राज्यों की ऐसी लंबित सिफारिशों का वर्षवार ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है तथा केंद्रीय सूची को अद्यतन करने में हो रही देरी के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का संवैधानिक और सामाजिक न्याय संबंधी उत्तरदायित्वों के पालन के लिए ऐसे प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख): झारखंड सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा यह जन सुनवाई 02.07.2025 को निर्धारित की गई थी, लेकिन इसे पुन: निर्धारित किया गया था और यह जन सुनवाई 03.07.2025 को पूरी की गई। झारखंड सरकार द्वारा आगे कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है।

सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में किसी भी जाति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 342क के प्रावधानों के अनुसार शामिल किया जाता है।

(ग) और (घ): 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2018, जो 11.08.2018 को लागू हुआ था, के पश्चात् सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में सम्मेलन/अपवर्जन भारत के संविधान के अनुच्छेद 342क के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सूचित किया है कि उन्होंने 09 (नौ) सलाह प्रस्तुत की है।

*****